

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1880 / 14-1 दिनांक : आगरा : सितम्बर, 12-10-2022
सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में चंदौसी आगरा तांतपुर कोट मार्ग एस0एच 39 के किमी0 0.236 के चैनेज 235.030 ग्राम रैना नगर तहसील खेरागढ एवं किमी0 245 के चैनेज 244.010 ग्राम सरैधी तहसील खेरागढ पर निर्माण खण्ड 2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा राज्य सडक निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0 39 की बांयी पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उप्र लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/143/2022/FC/572 दिनांक 04.10.2022 एवं आपका पत्रांक 1634/ 14-1 दिनांक 10.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है :-

क्र0सं0	आपत्ति	अनुपालन
1.	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.08 ha. Which is less than the actual required CA land area.	वे0एम0एल0 फाइल संशोधित कर दी गयी है।
2.	Positional error has been found in the proposed CA land area. This needs rectification.	संशोधित कर दिया गया है।

भवदीय



(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक

दिनांकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 2 लोक निर्माण विभाग आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा